	कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र (श्रीकर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर) **गोनेड़ा–कोटपूतली–303108** **जिला : जयपुर (राजस्थान)**	Mob.No.9414459339 incharge.arss.gonera@sknau.ac.in

क्रमांक :एफ( )/लेखा/कृ.अ.उ.के./केटीपी/2021/ 398–405 दिनांक: 15.02.2021

<u>खुली निविदा सूचना</u>

कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र गोनेड़ा–कोटपूतली जयपुर (राजस्थान)के खेत में Hi -Tech इरिगेशन सिस्टम (मिनी माइक्रो स्प्रिंकलर)कीआपूर्तिऔर स्थापनाहेतु खुली निविदा आमंत्रित की जाती है। ऐसी सेवा प्रदाता संस्थाओं/फर्म/ कम्पनी/ सोसायटी जिन्हे सेवाप्रदाता के रूप में कार्य करवाने का अनुभव हो, निविदा भर सकते हैं। निविदा प्रपत्र इस कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है अथवा निविदा प्रपत्र को वेबसाईटwww.sknau.ac.in&sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।राजस्थान सरकार के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.2(1) वित्त /जीएण्डटी–एसपीएफसी/2017/जयपुर दिनांक 23.12.2020 के तहत फार्म आर्फ बिड डिक्लेरेशन भरकर दिनांक **26.02.2021** को दोपहर **2.00** बजे तक कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, गोनेड़ा–कोटपूतली में भौतिक रूप से जमा करवाना आवश्यक है। डी.डी./बी.सी. "Officer Inchrge, Agriculture Research Sub Station, Gonera-Kotputli" के नाम से देय होगी। इस निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकारप्रभारी अधिकारीकृषि अनुसंधान उप केन्द्र, गोनेड़ा–कोटपूतली को होगा।

प्रभारी अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. श्रीमान निदेशक अनुसंधान, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भिजवा कर निवेदन है कि आप अथवा आपका नोमिनी नियुक्त करायें।
2. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भिजवा कर निवेदन है कि आप अथवा आपका नोमिनी नियुक्त करायें।
3. प्रभारी, सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर लेख है कि इस खुली निविदा को sppp.rajasthan.gov.in एवं विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.sknau.ac.in पर अपलोड करवाना सुनिश्चित कराएँ।
4. संयोजक/सदस्य, निविदा समिति, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, गोनेड़ा–कोटपूतली ।
5. फार्म इचार्ज, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, गोनेड़ा–कोटपूतली ।
6. आहरण एवं वितरण अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, गोनेड़ा–कोटपूतली ।
7. कैशियर, लेखा शाखा, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, गोनेड़ा–कोटपूतली ।
8. नोटिस बोर्ड, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, गोनेड़ा–कोटपूतली / श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर।

15/02/2021

प्रभारी अधिकारी

कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र

(श्रीकर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

गोनेड़ा–कोटपूतली–303108

जिला : जयपुर (राजस्थान)

के खेत में Hi -Tech इरिगेशन सिस्टम (मिनी माइक्रो स्प्रिंकलर) की आपूर्ति और स्थापना **की खुली निविदा सूचना**

कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र गोनेड़ा–कोटपूतली जयपुर (राजस्थान)के खेत में Hi -Tech इरिगेशन सिस्टम (मिनी माइक्रो स्प्रिंकलर)की आपूर्ति और स्थापना हेतु प्रतिष्ठित एवं अनुभवी पंजीकृत सेवा प्रदाता संस्थाओं/फर्मो से निविदाएँ निम्न विवरणानुसार आमंत्रित की जाती है–

क्र. सं.	विवरण	अनुमानित राशि (₹ लाखों में)	बोली प्रतिभूति (bid security) (₹)	निविदा शुल्क (₹)	निविदा प्रपत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि एवं समय
1.	**कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र गोनेड़ा–कोटपूतली जयपुर (राज)**के खेत में Hi -Tech इरिगेशन सिस्टम (मिनी माइक्रो स्प्रिंकलर)कीआपूर्ति और स्थापना	9.80	राजस्थान सरकार के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 2(1) वित्त /जीएण्डटी –एसपीएफसी /2017/जयपुर दिनांक 23.12.2020 के तहत फार्म आर्फ बिड डिक्लेरेशन	500	**26-02-2021** सायं **2** बजे तक	**27-02-2021** दोप. **12.00** बजे निदेशक राज. कृषिअनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर

निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रूपये 500/– नगद कार्यालय में जमा करवाकर निविदा प्रपत्र प्राप्त कर सकते है। राजस्थान सरकार के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक– एफ.2(1) वित्त /जीएण्डटी–एसपीएफसी/2017/जयपुर दिनांक 23.12.2020 के तहत फार्म आर्फ बिड डिक्लेरेशन भरकर दिनांक **26.02.2021** को दोपहर **2.00** बजे तक कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, गोनेड़ा–कोटपूतली में भौतिक रूप से जमा करवाना आवश्यक है।

प्रभारी अधिकारी

	कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र (श्रीकर्ण नरेन्द्र कृषि विष्वविघालय, जोबनेर) **गोनेड़ा–कोटपूतली–303108** जिला : जयपुर (राजस्थान)	**Mob.No.9414459339** **incharge.arss.gonera@sknau.ac.in**

<u>तकनीकी निविदा प्रपत्र 'अ'</u>

कार्य की अनुमानित लागत – रूपये 9.80 लाख

निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रूपये 500/– नगद कार्यालय में जमा करवाकर निविदा प्रपत्र प्राप्त कर सकते है। राजस्थान सरकार के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.2(1) वित्त /जीएण्डटी–एसपीएफसी/2017/जयपुर दिनांक 23.12.2020 के तहत फार्म आफॅ बिड डिक्लेरेशन भरकरदिनांक **26.02.2021** को दोपहर **2.00** बजे तक कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, गोनेड़ा–कोटपूतली में भौतिक रूप से जमा करवाना आवश्यक है।

कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र गोनेड़ा–कोटपूतली के खेत में Hi -Tech इरिगेशन सिस्टम (मिनी माइक्रो स्प्रिंकलर) की आपूर्ति और स्थापना **की खुली निविदा सूचना**

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम, ...
2. **डाक का पता, दूरभाष नम्बर, मोबाईल नम्बर व ई–मेल सहित** ....
   ....
   ....
3. कार्यालय का पता, दूरभाष नम्बर, सम्पर्क सूत्र व्यक्ति का नाम एवं मोबाईल नम्बर............................
   ....
   ....
   ....
   ....
4. किसको संबोधित किया गया –प्रभारी अधिकारीकृषि अनुसंधान उप केन्द्र, गोनेड़ा–कोटपूतली खुली निविदा सूचना संदर्भ ....दिनांक................................
5. निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रूपये 500/– नगद कार्यालय में जमा करवाकर निविदा प्रपत्र प्राप्त कर सकते है। राजस्थान सरकार के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.2(1) वित्त /जीएण्डटी–एसपीएफसी/2017/जयपुर दिनांक 23.12.2020 के तहत फार्म आफॅ बिड डिक्लेरेशन भरकरदिनांक **26.02.2021** को सॉय **2.00** बजे तक कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, गोनेड़ा–कोटपूतली में भौतिक रूप से जमा करवाना आवश्यक है।हम प्रभारी अधिकारीकृषि अनुसंधान उप केन्द्र, गोनेड़ा–कोटपूतलीद्वारा जारी की गई खुली निविदा सूचना **संख्या** .... **दिनांक** .... में वर्णित शर्तो से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।

6. खुली निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न **प्रपत्र 'ब'** में दर्षाये गये आपूर्ति और स्थापना संबंधी दरें सभी करों व आनुशंगिक प्रभारो सहित अंकित है।
7. आपूर्तिकर्ता को बागवानी विभाग,राजस्थान के साथ पंजीकृत होना चाहिए,पंजीकरण पत्र संलग्न होना चाहिए।
8. आपूर्तिकर्ता के पास संभालने के लिए तकनीकी टीम होनी चाहिए (उनकी योग्यता नोट के साथ, ऐसी तकनीकी टीम का प्रमाण होना चाहिए)
9. राज्य में इस तरह के निष्पादन का अनुभव प्रमाण पत्र (ऐसी सरकार की आपूर्ति के प्रमाण में न्यूनतम 5 कार्य संलग्न होने चाहिए)
10. प्रमुख उत्पाद, एक ही आपूर्तिकर्ता का ब्रांड होना चाहिए।
11. प्रस्ताव के साथ उपभोग् नमूने प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
12. आपूर्ति और स्थापना । केन्द्र द्वारा आवश्यकतानुसार सेवा इकाई में कमी या वृद्धि की जा सकती है।
13. खेत में Hi -Tech इरिगेशन सिस्टम (मिनी माइक्रो स्प्रिंकलर) की आपूर्ति और स्थापना की खुली निविदा सूचना **आपूर्तिहेतु प्रपत्र 'ब'** में दी गई दरें एक वर्ष के लिए हैं।
14. खुली निविदा प्रपत्र के साथ जी.एस.टी. पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करना है, जो तकनीकी बिड खोलने की तिथि को वैध हो। प्रपत्र ''र'' संलग्न है।
15. टर्न ओवर प्रमाण पत्र **(प्रपत्र 'स')** संलग्न है।
16. पूर्व में समान प्रवृत्ति के कार्य के लिए किसी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं होने का स्वघोषणा प्रमाण पत्र **(प्रपत्र 'द')** संलग्न है।
17. खुली निविदा प्रपत्र के साथ कर्मचारी भविष्य निधी एवं कर्मचारी राज्य बीमा पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न है। प्रपत्र ''र'' सलग्न है।

तकनीकी प्रस्तुति –

18. फसलों को लक्षित करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता और संचालन सहित डिजाइन पहलू और उत्पाद पर तकनीकी प्रस्तुतिकी जानीचाहिए।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

	कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र (श्रीकर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविघालय, जोबनेर) **गोनेड़ा–कोटपूतली–303108** जिला : जयपुर (राजस्थान)	**Mob.No.9414459339** **vsyhortijpr@gmail.com** **incharge.arss.gonera@sknau.ac.in**

कंमाक :एफ( )/लेखा/कृ.अ.उ.के./केटीपी/2021/398—405 दिनांकः 15.02.2021

कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र गोनेड़ा–कोटपूतली जयपुर (राजस्थान)के खेत में Hi -Tech इरिगेशन सिस्टम (मिनी माइक्रो स्प्रिंकलर)की आपूर्ति और स्थापनाहेतु खुली निविदाएँ आमंत्रित की जाती है । ऐसी सेवा प्रदाता संस्थाओं/फर्म / कम्पनी / सोसायटी जिन्हें सेवाप्रदाता के रूप में कार्य करवाने का अनुभव हो, निविदा भर सकते हैं । निविदा प्रपत्र इस कार्यालय से रूपये 500/— नगद जमा करवाकर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र को वेबसाईटwww.sknau.ac.in&sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्र व राजस्थान सरकार के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.2(1) वित्त /जीएण्डटी–एसपीएफसी/2017/जयपुर दिनांक 23.12.2020 के तहत फार्म आफॅ बिड डिक्लेरेशन भरकर दिनांक **26.02.2021** को दोपहर **2.00** बजे तक प्रभारी अधिकारीकृषि अनुसंधान उप केन्द्र, गोनेड़ा–कोटपूतली में भौतिक रूप से जमा करवाना आवश्यक है। डी.डी./बी.सी. "Officer Incharge, ARSS-Gonera,Kotputli" के नाम से देय होगी।

A. आवेदन के लिए वांछित पात्रता

1. निविदादाता सेवा प्रदाता फर्म/कम्पनी/सोसाइटी का विगत तीन वर्षो का औसत टर्न ऑवर रूपये 10.00 लाख हो। इस हेतु वांछित प्रामाणिक दस्तावेज बैलेंश शीट, Profit and Loss A/c, Receipt & Payment/Income-expenditure A/cआदि अनिवार्य रूप से संलग्न करे।
2. सेवा प्रदाता फर्म का श्रम विभाग राज्य/केन्द्र सरकार के अधिनियमों के प्रचलित नियमों के अन्तर्गत पंजीकरण होना वांछित है।
3. फर्म/कम्पनी द्वारा जो कि विगत तीन वर्ष में सरकारी विभाग/उपक्रम में आपूर्ति और स्थापनाकार्य हेतु आपूर्तिकार्यानुभव अनिवार्य है तथा सक्षम अधिकारी द्वारा संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र संलग्न करना वांछित है।
4. आवेदक को पंजीकृत कार्यालय/शाखा का पूर्ण पता, दूरभाष नम्बर, ई–मेल का विवरण देना अनिवार्य है।
5. सेवा प्रदाता का राजस्थान में पंजीकृत कार्यालय होना अनिवार्य है।
6. सेवा प्रदाता को कर्मचारी भविष्य निधी एवं कर्मचारी राज्य बीमा योजनान्तर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है।

7. श्रम विभाग एवं राजस्थान सरकार द्वारा अनुमोदित शर्तें लागू होंगी।

B. आवेदन की विधि तथा बोली प्रतिभूति (Bid Security) जमा कराना

C. निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रूपये 500/– नगद कार्यालय में जमा करवाकर निविदा प्रपत्र प्राप्त कर सकते है। राजस्थान सरकार के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.2(1) वित्त /जीएण्डटी–एसपीएफसी/2017/जयपुर दिनांक 23.12.2020 के तहत फार्म आफॅ बिड डिक्लेरेशन भरकरदिनांक **26.02.2021** को दोपहर **2.00** बजे तक कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, गोनेड़ा–कोटपूतली में भौतिक रूप से जमा करवाना आवश्यक है।

D. कार्यों का विवरण एवं निविदा की शर्ते

कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र गोनेड़ा–कोटपूतली जयपुर (राजस्थान)के खेत में Hi -Tech इरिगेशन सिस्टम (मिनी माइक्रो स्प्रिंकलर)की आपूर्ति और स्थापना**के लिए शर्तेः–**

1. निविदादाता सेवा प्रदाता फर्म/कम्पनी/सोसाइटी काठेकेदार अथवा प्रतिनिधि को प्रतिदिन श्रमिकों से कार्य करवाते समय फार्म पर उपस्थित रहना आवष्यक होगा।
2. अगर निविदादाता सेवा प्रदाता फर्म/कम्पनी/सोसाइटी का अपना कार्य निश्चित अवधि के बीच में छोडता है व श्रमिकों को भुगतान नही करता है या कार्य संतोषजनक नही करने पर उसको इस कार्यालय द्वारा नियमानुसार इस ठेके से हटाया जाता है तो उसके द्वारा बोली प्रतिभूति एवं अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
3. आपूर्तिकर्ता द्वारा उपलब्ध करवाये गये श्रमिक द्वारा संस्था में किसी भी प्रकार की हानि पहुॅचाती है तो उसका उत्तरदायित्व स्वयं आपूर्तिकर्ता का होगा, नुकसान की वसूली का पूर्ण अधिकार प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, गोनेड़ा कोटपूतली को ठेकेदार से होगा।
4. दो या दो से अधिक निविदादाताओं के द्वारा दी गई कार्य दरों में अगर समानता होती है तो सभी कार्यों के लिए प्राप्त दरों के औसत में न्यूनतम प्राप्त दरों पर निर्णय लिया जायेगा तथा प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, गोनेड़ा कोटपूतली द्वारा किया गया निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।
5. निविदादाता द्वारा समय पर कार्य सम्पादन न कराने, पर ब्लेक लिस्टेड कर दिया जायेगा।
6. अन्य शर्तें एवं नियम RTPPA 2012, RTPPR 2013 एवं सामान्य वितीय एवं लेखा नियमों के अनुसार लागू होंगे।
7. शर्तें/नियम स्वीकार करने के रूप में हस्ताक्षर एवं मोहर लगा दी गई है।
8. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबन्ध /संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुवाआजा देने/ ई.एस'आई करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा करवाने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

9. श्रमिक की कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना जैसे सांप का काटना, बिजली या कृषि औजार, ट्रेक्टर आदि से दुर्घटना हो जाने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी संवेदक की होगी इस केन्द्र की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

दिनांक———————— निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर मय

स्थान ————————— स्पष्ट नाम मय फर्म की रबड मोहर

वित्तीयबोली -

1.वित्तीय बोली के लिए तकनीकी सफल बोलीदाताओं को ही आमंत्रित किया जाएगा

I. निविदा का खोला जाना

निविदा प्रपत्रों को दिनांक 26.02.2021 को दोपहर 2.00 बजे तक कार्यालय प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, गोनेड़ा कोटपूतली में जमा करवाना होगा। निविदा प्रपत्र को दिनांक 27.02.2021 को प्रात 12.00 बजे निविदा समिति द्वारा एवं उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जाएगा।

II. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि

सफल निविदादाता को कार्यादेश राशि के 5 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति को **(Performance Security)** जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंक पे–आर्डर "Officer Incharge, ARSS, Gonera Kotputli"के नाम भुगतान योग्य हो, जमा करानी होगी। पूर्व में बोली प्रतिभूति **(Bid Security)** के रूप में जमा राशि समायोजित की जा सकेगी। यह कार्य सम्पादन प्रतिभूति निविदादाता द्वारा कार्यादेश में वांछित अवधि समाप्त होने पर तथा समस्त कार्य संतोषजनक पूर्ण करने पर ही लौटाई जा सकेगी अन्यथा कि स्थिति में यह पूर्ण रूप से/अंशतः जब्त की जा सकेगी।

III. उत्तरदायित्व

सेवा सम्पादन के दौरान मैन पॉवर की किसी भी प्रकार की दुर्घटना पर भारत/राजस्थान सरकार के प्रचलित किसी कानून/नियम/अधिनियम/उपनियम के उल्लंघन की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। सेवा हेतु रखे गए श्रमिक सेवा ईकाई की समस्त प्रकार की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। **सफल निविदादाता को जिम्मेदार अधिकारी/व्यक्ति का नाम, पता व मोबाइल नम्बर उपलब्ध करवाना होगा ताकि कार्य सुचारू रूप से हो सके।**

IV. निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने की शक्तियाँ

निविदा को बिना कारण बताए पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के सम्पूर्ण अधिकार प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, गोनेड़ा कोटपूतली को होगें। यह अनिवार्य नही की असफल निविदादाता के साथ पत्र व्यवहार करें या उनके पत्र व्यवहार का जवाब दिया जाऍ। एक बार निविदा प्रस्तुत कर देने के पश्चात् वापस लेने का अधिकार किसी निविदादाता को नही होगा। पर्याप्त बिड् सिक्यूरिटी, निविदा शुल्क के अपलोड एवं भौतिक रूप से प्राप्त करने के अभाव में निविदा फार्म रद्द कर दिए जाएगें। निविदा में प्राप्त दरें बातचीत **(Negotiation)**/बिना बातचीत स्वीकार करने के पूर्ण अधिकार केन्द्र को होगें जो निविदादाता के लिए बाध्यकारी होगें।

अनुमानित राशि का आंकलन

प्रपत्र "ब" में वर्णित कार्य संख्या अनुमानित है, जिसमें मौके पर कुछ परिवर्तन संभावित है। उक्तानुसार कार्य की अनुमानित लागत राशि रूपये 9.80 लाख है। संस्थान द्वारा आयकर स्त्रोत पर काटकर ही राशि का भुगतान किया जाएगा।

V. दर संविदा अनुबंध की अवधि

दर संविदा की कार्यअवधि 20 Days के लिए होगी।

VI. अनुबन्ध

सफल निविदादाता को निर्धारित प्रारूप के अनुसार नियमानुसार निर्धारित राशि रू0 500/– के नॉन ज्यूडिषियल स्टॉम्प पर एक अनुबंध पत्र सम्पादित करना होगा जिसका व्यय निविदादाता को वहन करना होगा। दोनो पक्षो को उक्त अनुबंध पत्र की प्रत्येक शर्त का अक्षरशः पालन करना होगा। यदि निविदादाता उक्त शर्तों का उल्लघंन करता है तो अनुबंध पत्र किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जाएगा। तथा उक्त कार्य अनुबंधकर्त्ता की Risk and Cost पर अन्य व्यक्ति से करा लिया जाएगा। यदि करार के पश्चात् चाही गई मैनपावर में किसी प्रकार की बढ़ोतरी/कमी होती है तो आनुपातिक आधार पर पैकर्स सेवाएँ बढाई/घटाई जा सकती है।

VII. भुगतान की शर्तें

बिल का भुगतान सफल निविदादाता सेवा प्रदाता को **उक्त सेवाओं के बदले केन्द्र द्वारा सेवाओं के संतोषजनक पाये जाने पर** कार्य **आधार पर भुगतान समेकित रूप से निविदादाता (सेवा प्रदाता) को RTGS/NEFT/ चैक द्वारा किया जाएगा।**

VIII. भुगतान की जिम्मेदारी

निविदादाता (सेवा प्रदात्ता) को कार्य आधार पर सेवाओं के संतोषजनक होने पर केन्द्र भुगतान करेगा। अन्य किसी भी तरह की जिम्मेदारी से मुक्त होगा। वर्णित कार्यो के किए जाने वाले भुगतान तथा अन्य किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से मुक्त होगा।

IX. मध्यस्थ

निविदा की किसी भी शर्त/शर्तों के संबंध में प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, गोनेड़ा कोटपूतली का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

X. कार्यादेश का निरस्तीकरण

प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, गोनेड़ा कोटपूतली को किसी भी कार्यादेश को निरस्तीकरण पेटे बिना कोई भुगतान किए पूर्णतः/आंशिकरूप से निरस्तीकरण के सम्पूर्ण अधिकार होगें लेकिन यह मात्र असामान्य/विशेष परिस्थितियों में ही हो सकेगा।

XI. निविदा शर्तों की स्वीकारोक्ति

निविदादाता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निविदा भरते समय निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने लघु हस्ताक्षर करेगा जिससे यह माना जाएगा कि उसने प्रत्येक शर्त पढ़/समझ ली है तथा उसे/उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार्य है। अहस्ताक्षरित निविदाएँ निरस्त की जा सकती है। भारत/राजस्थान सरकार द्वारा लागू किए गए किसी भी कर/लेवी की वसूली सफल निविदादाता के बिल से कटौती संस्थान द्वारा की जाएगी।

XII. निविदा की अन्य शर्ते सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग–II के नियम 68 ई–निविदा के लिए ई–निविदा एवं संविदा की शर्ते एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अनुसार लागू होंगी।

XIII. किसी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम द्वारा ब्लेक लिस्टेड फर्म निविदा प्रस्तुत करने के लिए अपात्र मानी जाएगी। यदि ऐसी फर्म इस तथ्य को छिपाते हुए अपनी निविदा प्रस्तुत करती है तो उस फर्म की बोली प्रतिभूति (Bid Security)/कार्य सम्पांदन प्रतिभूति (Performance Security)जब्त करते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जाएगा।

XIV. वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार – बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात् :–

(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा।

(ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा और यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

XV. सत्यनिष्ठा संहिता –उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति, –

(क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।

(ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।

(ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।

(घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरूपयोग नहीं करेगा।

(ड) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा।

(च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।

(छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।

(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी

पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

XVI. हित का विरोध –

(1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।

(2) उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संस्था या उसके कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेंगे, निम्नलिखित सम्मिलित है, किन्तु उन तक सीमित नहीं है :–

(क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे कि बाह्य वृतिक या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय आस्तियां, उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके वृतिक कृत्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में हस्तक्षेप करते हों या हस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हों।

(ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विनिधान और आस्तियां, राजनैतिक या अन्य बाह्य क्रिया कलाप ओर सम्बन्धताएं, उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजन या उपहार की प्राप्ति, जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हो, हित में विरोध उत्पन्न कर सकेगा।

(ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कृत्यों से अर्जित ज्ञान का उपयोग, या किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालना सम्मिलित है जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है।

(घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जंहा उपापन संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कुटुम्ब, मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष लेता है, सहित किसी तृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्रवाईयों या विनिश्चय से फायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्हें उसमें सम्मिलित करता है।

(3) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,–

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है।

(ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है।

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।

(ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित

नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है।

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

XVII. उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायतों का निस्तारण –प्रथम अपील प्राधिकारी माननीय कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विष्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी प्रमुख शासन सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर अथवा विष्वविद्यालय या राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकारी होगे।

1 **अपीलः**–(1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अध्यधीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देषों या मार्गदर्षन के उपबंधों के उल्लघंन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को,जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनिष्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिन की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व–अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्टीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्द की जाये, के भीतर संलग्न प्रारूप **(प्रपत्र–'य')** में अपील दाखिल कर सकेगा।

परन्तु बोली लगााने वाले के सफल होने की घोषणा के पष्चात् अपील केवल उस बोली लगााने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है।

परन्तु यह और कि ऐसी दषा में, जहाँ उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहाँ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

(2) उप–धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप–धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पष्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तद्नुसार आदेश पारित करेगा जो उप–धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अध्यधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(3) अधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

(4) यदि उप–धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकरी उप–धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उप–धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप–धारा (2) के अधीन पारित

आदेष से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या, यथास्थिति, उपापन संस्था, उप–धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, उप–धारा (2) के अधीन पारित आदेष की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित पदाभिहित किसी अधिकरी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।

(5) उप–धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप–धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पष्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्षक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों , बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेष पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकरों पर बाध्यकारी होगा।

(6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप–धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा–सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर–भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा।

परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(7) अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों , बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में उपदर्षित किया जाएगा।

(8) उप–धारा (1) और (4) के अधीन प्रात्येक अपील ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाएँ।

(9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया–नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित किए जाएँ।

(10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवष्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का ह्रास करेगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अड़चन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।

1. अपील का प्ररूप –

(1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्षिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप–धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्ररूप **(प्रपत्र –'य')** में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

2. अपील फाइल करने के लिए फीस –

(1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

3. अपील के निपटारे की प्रक्रिया –

(1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,–

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा।

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

XIX. यदि वाद उत्पन्न होने कि स्थिति बनती है तो उस स्थिति में न्यायालय क्षेत्र, जयपुर (राजस्थान) होगा।

प्रभारी अधिकारी

मैंने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तो का सावधानी पूर्वक परिशीलन कर लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त सभी शर्तो से प्रतिबन्धित रहूँगा/रहेंगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

प्रपत्र –'स'

<u>वार्षिक टर्न ओवर प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि फर्म मैसर्स .... का विगत तीन वित्तीय वर्षो का टर्न ओवर निम्नानुसार है। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रमाण पत्र सत्य व सही है। फर्म की विगत तीन वर्षों की Audited Balance Sheet/Profit and Loss A/Cसंलग्न है।

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	टर्न ओवर (राशिरू.लाखों में)
1	2017–18	
2	2018–19	
3	2019–20	
	कुल टर्न ओवर	
	औसत टर्न ओवर	

दिनांक :

अंकेक्षक / सनदी लेखाकार का

नाम मय हस्ताक्षर एवं पंजीकरण संख्या

प्रपत्र –'द'

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने प्लेसमेंट कार्य/ सेवा ईकाई की जहां कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षो में आपूर्तित सेवा इकाईयों के संतोषप्रद कार्य नहीं करने/ होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/ उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते है कि हमारा किसी भी न्यायालय में सेवा प्रदायगी में Defaulter का कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

प्रपत्र "य"

FORM NO. 1 : (See rule 83 of RTPP)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurensent Act, 2012

Appeal No..………………….. of …………………

Before the …………………………………….. (First/Second Appeliate Authority)

1. **Particulars of appealant :**
   - (i) Name of the appeliant
   - (ii) Official Address, if any
   - (iii) Residential address
2. **Name and address of the respondent (s) :**
   - (i)
   - (ii)
   - (iii)
3. **Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (endorse copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravaction to the provisions of the Act by which the appeliant is aggrieved.**
4. **If the Appeliant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative.**
5. **Number of affidavits and documents enclosed with the appeal.**
6. **Ground of appeal**
   …….
   …….
   …………………………………………………………………………………..…(Supported by an affidavit)
7. **Prayer**
   …….
   …….

Place ………………………….
Date ………………….

……………………………….
Appeliant's Signature

प्रपत्र –'र'

<u>बोली दाता–संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण का विवरण</u>

क्रसं.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं सेवा कर (GST)				
5.	आय कर (पैन नम्बर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, गोनेड़ा कोटपूतली

प्रपत्र ''ब''

वित्तीय निविदा

कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, गोनेड़ा कोटपूतली

उपयोग किए जाने वाले उत्पादों का विवरण

Name	Agriculture Research Sub Station, SKNAU, Jobner	**Crop**	Wheat
Village	Goneda	**Spacing:**	8m x 8m
Tehsil	Kotputali	**Lateral Spacing :**	8m
District	Jaipur	**System:**	Mini Sprinkler
State	Rajasthan	**Area (Ha):**	9.3

Sr No	Particulars/ Items description	Quantity	Unit	Rate (Rs)	Amount (Rs)
1	2 " Header Assembly (2 " Hydrocyclone Filter + 2 " Disc Filter & 2" Ventury outlet) PP	2	Nos		
2	PP Hydrocyclone filter 20 m3/hr	2	Nos		
3	PLAS DISC FILTER 2"-25M3/HR	2	Nos		
4	2" PP Butterfly Valve	2	Nos		
5	2 " NRV , Flanged	2	Nos		
6	2 " PP Ball Valve , Threaded	2	Nos		
7	PR GAUGE 4.0BAR 2.5"STL 1/4"BSP L (Glycerine filled)	4	Nos		
8	Fertilizer Injector with assembly with motive flow of 8500 M3/Hr	2	Nos		
9	Air Release Valve 1"	2	Nos		
10	PVC Pipe 90 mm 4 Kg/cm2	336	Mtr		
11	HDPE PIPE WITH QAC 75*2.5 6M (C Type with SS Clamp)	52	Nos		
12	HDPE PIPE WITH QAC 90*2.5 6M (C Type with SS Clamp)	132	Nos		
13	PVC pipe 32 mm/10 Kg (1m height)	150	Mtr		
14	PP Ball Valve 32 mm (Female Threaded)	150	Nos		
15	End Plug Quick Action 90 mm	2	Nos		
16	End Plug Quick Action 75 mm	2	Nos		
17	LATERAL 32MM CL2-ISI (100M)	11800	Mtr		
18	Mini Sprinkler HA 240 GRAY 2.3 X L-GREEN (509 LPH) Low Pressure	1453	Nos		
19	MINI SPRINKLER TUBE ASSEMBLY W/O HEAD	1453	Nos		
20	METAL ROD 8MM - 1.2M (TRISHUL TYPE)	1453	Nos		
21	PVC Service Saddle 90 X 1" mm	98	Nos		
22	PVC Service Saddle 75 X 1" mm	38	Nos		
23	Threaded Elbow 32 mm x 1" (For single side Lateral)	62	Nos		
24	PUSH MALE THREAD ADAPTER 32MM (For single side Lateral)	62	Nos		
25	Male Threaded Tee 32 mm x 1" x 32 mm (For Double side Laterals)	74	Nos		
26	PUSH MALE THREAD ADAPTER 32MM (For Double side Laterals)	148	Nos		
27	PUSH END CAP 32MM	210	Nos		
28	PUSH COUPLING 32MM	117	Nos		

Note: Prices should be inclusive of GST,ex ARSS, Goneda and with installation

कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र
(श्रीकर्ण नरेन्द्र कृषि विष्वविघालय, जोबनेर)
गोनेड़ा–कोटपूतली–303108
जिला : जयपुर (राजस्थान)

Layout plan:

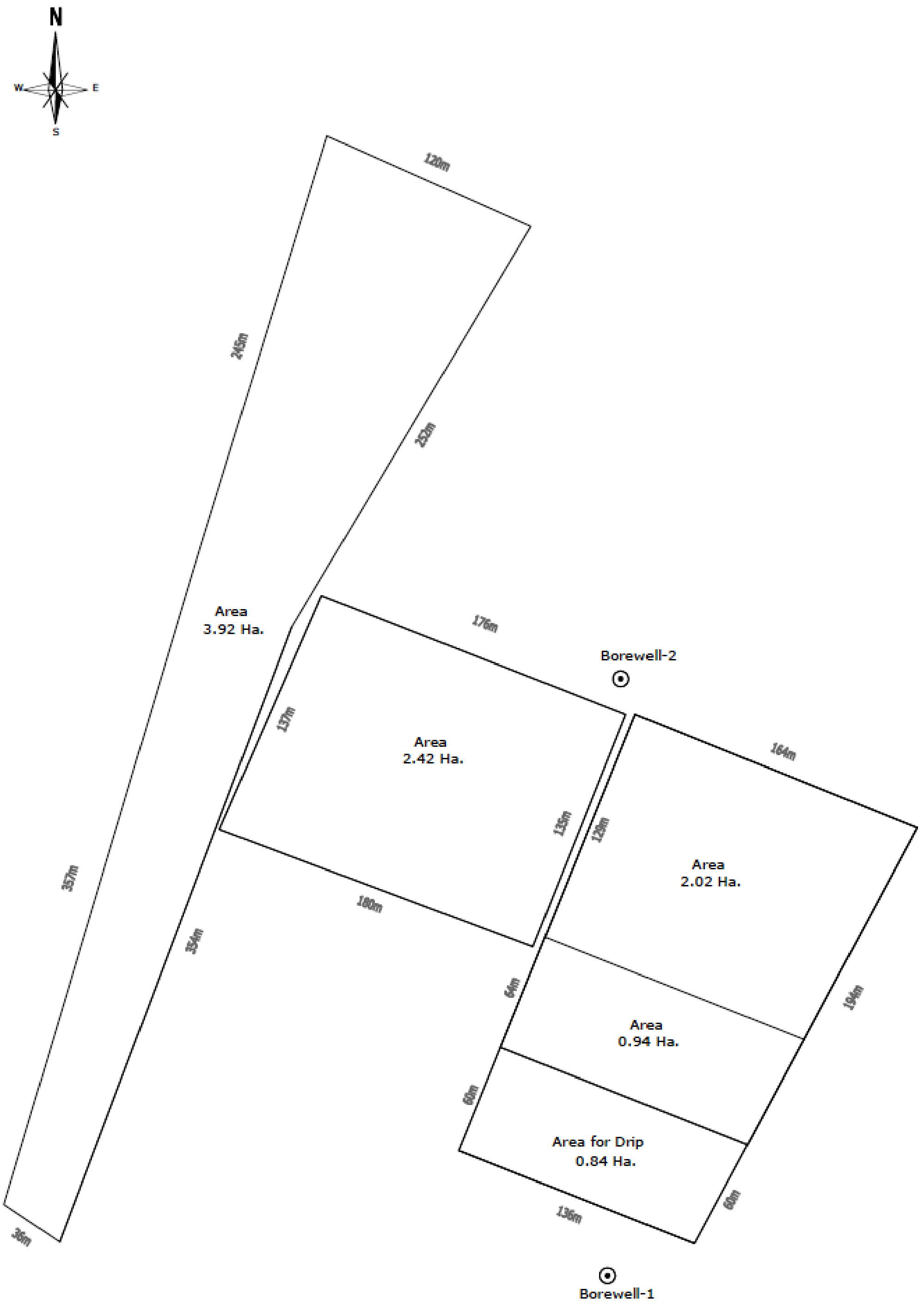

Form of Bid-Securing Declaration

Date :
Bid No. :
Alternative No. :

To :

We, the undersigned, declare that:

We understand that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid-Securing Declaration.

We accept that we are required to pay the bid security amount specified in the Term and Condition of Bid, in the following cases, namely :-

(a) when we withdraw or modify our bid after opening of bids;
(b) when we do not execute the agreement, if any, after placement of supply/work order within the specified period;
(c) when we fail to commence the supply of the goods or service or execute work as per supply/work order within the time specified;
(d) when we do not deposit the performance security within specified period after the supply/work order is placed;and
(e) if we breach any provision of code of integrity prescribed for bidding specified in the Act and Chapter VI of these rules.

In addition to above, the State Government shall debar us from participating in any procurement process undertaken for a period not exceeding three years in case where the entire bid security or any part thereof is required to be forfeited by procuring entity.

We understand this Bid Securing Declaration shall expire if :-

(i) we are not the successful Bidder;
(ii) the execution of agreement for procurement and performance security is furnished by us in case we are successful bidder;
(iii) thirty days after the expiration of our Bid.
(iv) the cancellation of the procurement process; or
(v) the withdrawal of bid prior to the deadline for presenting bids, unless the bidding documents stipulate that no such withdrawal is permitted.

Signed :--

Name :---

In the capacity of :---------------------------

Duly authorized to sign the bid for and on behalf of :

Dated on day of
Corporate Seal ---------------------------------------

[Note: In case of a Joint Venture, the Bid Securing Declaration must be signed in name of all partners of the Joint Venture that is submitting the bid.]